# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
## पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / /स्था./नग्रानि/2018 भोपाल, दिनांक

**//कार्यालयीन आदेश//**

संचालनालय के आदेश क्रमांक 2998, दिनांक 25.05.2018 में आंशिक संशोधन करते हुये मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित के सीधी भर्ती, बैकलॉग की पूर्ति हेतु म.प्र. व्यवसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा समूह–2 उप समूह–4 के अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा 2017 के तारतम्य में उपलब्ध कराई गई चयन सूची के आधार पर चयनित अभियार्थी **कु0 रानी जायसवाल, श्री जगदीश प्रसाद जायसवाल** (अन्य पिछड़ा वर्ग) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक **अन्वेषक** के पद पर वेतनमान level 7 pay matrix 28700-91300 पर मूल वेतन 28700/– पर शासन के नियमानुसार अन्य स्वीकृत देय भत्तों पर, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं अधोलिखित शर्तो पर नियुक्त किया जाकर **मुख्यालय भोपाल**.में अस्थाई तौर पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :–

1. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा समूह–2 उपसमूह–4 के अंतर्गत श्रम निरीक्षक एवं अन्य समकक्ष पद हेतु आयेजित संयुक्त भर्ती परीक्षा–2017 के अंतर्गत मान्य उच्च न्यायालय जबलपुर में सस्थित याचिका क्रमांक 7780/2017 कृष्णकन्हैया गुप्ता विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25.05.2017 के अनुसार यह नियुक्ति याचिका के अंतिम निराकरण के अधीन होगी।
2. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–सी–3–15/2012/1/3 दिनांक 24 नवम्बर, 2012 के अनुसार, "यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त जारी किये जा रहे है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी"।
3. नियमित कर्मचारी को अच्छे चरित्र एवं उसके विरूद्ध ऐसा कोई अपराधिक प्रकरण जो उसे शासकीय सेवा के योग्य होने से बाधित करता हो, लंबित न होने के संबंध में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरूद्ध जानकारी मिलने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे तथ्यों का सत्यापन करने के पश्चात बिना कोई कारण बताये तत्काल नियुक्ति समाप्त कर देंगे। (संलग्न शपथ–पत्र का प्रारूप)
4. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के, अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र सीधे नहीं भेजे जा सकेंगे।
5. बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के, शैक्षणिक योग्यता बढ़ाये जाने संबंधी परीक्षा में सम्मिलित नही हो सकेंगे।
6. सेवा अवधि के दौरान उभय पक्ष की ओर से एक माह का नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी, किन्तु कदाचरण या असंतोषजनक कार्य या दोनों के कारण सेवायें बिना सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथापि यदि वे एक माह की सूचना न दे तो सूचना न देने के बदले उनको एक माह का वेतन व निर्धारित भत्ते जमा करना होगा। यदि वे ऐसा न करे तो ऐसी राशि भू–राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल की जा सकेगी।

7. नव नियुक्त अभ्यर्थीगण, म.प्र.शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 13.4.2005 द्वारा मध्य प्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 01.01.2005 के बाद से नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू "परिभाषित अंशदान पेंशन योजना" के सदस्य होंगे एवं इन पर म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 लागू नहीं होंगे।
8. अभ्यर्थी को आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की समयसीमा में उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए पदस्थापना स्थान पर उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
9. अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
10. अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण उन्हें चयन प्रकिया में प्राप्तांको के आधार पर मैरिट कमानुसार किया जावेगा।
11. संबंधित को कार्यभार ग्रहण करने के समय मूल रूप, से शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी, जाति, विकलांगता संबंधी प्रमाण अथवा शासकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। मूल अभिलेख मिलान में सही नहीं पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
12. संबंधित जिला कार्यालय, अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच से संतुष्ट होने पर ही अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करावेंगे।
13. अभ्यर्थी, कार्यग्रहण करते समय संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, यदि स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थी को शारीरिक/ मानसिक रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
14. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय संबंधित जिलाध्यक्ष द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि करा के प्रस्तुत करना होगा। परीक्षण हेतु संबंधित जिला कार्यालय को भेजा जायेगा। यदि जाति प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
15. यह प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र.लोक सेवा (अनु.जातियों, अनु.जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (कमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया गया है।
16. अभ्यार्थी का परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी स्थिति में स्थानानंतरण नहीं किया जावेगा एवं अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता बढाये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

संचालक 12/6/18
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक / 3380/स्था./नग्रानि/2018 भोपाल, दिनांक 13/6/18

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल को उनके निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय कटनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अनुविभागीय अधिकारी(प्रमाणीकरण) तहसील गुढ़, जिला रीवा म.प्र. की ओर सूचनार्थ। कु0 रानी जायसवाल, पिता जगदीश प्रसाद जायसवाल को अन्य पिछडा वर्ग के रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्ति की गई है एवं उनके द्वारा प्रेषित जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर निवेदन है कि इसकी जांच कर, पुष्टि करने का कष्ट करें।
4. **कु0 रानी जायसवाल, पिता जगदीश प्रसाद जायसवाल** पताः– प्लाट न. 46, नवआर्दश कॉलानी, कमला नेहरू रोड, जबलपुर, म.प्र. को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. लेखा कक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
6. व्यक्तिगत नस्ती।
7. रोस्टर लिपिक।

12/6/18

**संचालक**
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल

ord (Invasti. ) Sc.St. Posting(2)17.docx